

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/90388/ALG/ALIGARH/1925/CFO

दिनांक: 25-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स PT LAXMI NARAYAN

(भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता GATA NO 3377-3382

GHARBARA TAPPAL, GHARBARA TAPPAL (उपस्थिति का पता) क्षेत्रफल 10600.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 4536.74

(वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या : 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	निर्माण प्रमाण पत्रों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
PT LAXMI NARAYAN MEMORIAL MAHARAJVALAYA	1	0	4.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स PT LAXMI NARAYAN MEMORIAL MAHARAJVALAYA द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एनआईसीए की आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित की गई हैं। अग्नि भवन में स्थापित कराई गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 28-07-2023 को स्वयं अपनी/प्राप्त स्वयं के प्रतिनिधि श्री RAJ KUMAR BAJPAI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गई। यह प्रमाण पत्र भवन का अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सर्टिफिकेट) एनआईसीए की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत दिनांक 30-07-2023 से 30-07-2028 तक 3 वर्षों के लिए बनाया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं की अनुपालन करते हुए निरीक्षण करते हुए भवन का अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स PT LAXMI NARAYAN MEMORIAL MAHARAJVALAYA अधिभोग पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : निरीक्षण अधिकारी की प्रस्तुति के अनुसार यह प्रमाण पत्र भवन में अग्नि भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है प्रत्येक माह फायर mock drill, स्टाफ की प्रशिक्षण एवं फायर जांचकर्ता का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा। अग्निशमन विभाग के निरीक्षण के समय सभी अभिलेखों की निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। भवन का अधिभोग अथवा ढाचागत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। प्रत्येक शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबंधक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 30-07-2023
स्थान : ALIGARH

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAJ KUMAR BAJPAI)

[5E637055C4ECE57BB8C203AFFAFD85BB537BF008]

30-07-2023